R-53/2007 (10)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पटना

—: आदेश :—

11-04-2013

शस्त्र अपील वाद संख्या–216 / 2008 में आवेदक **श्री श्यामल कुमार,** पिता–स्व0 राम सेवक सिंह, सा0–जी–4 लाईन, मेन क्वार्टर, हार्डिंग रोड, पो0–जी0पी0ओ0, थाना–कोतवाली, जिला–पटना से प्राप्त एक डी0बी0बी0एल0 गन हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–53 / 2007 में पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त न्यायालय (शस्त्र अपील) वाद संख्या–216 / 2008 में दिनांक–09.03.2010 को पारित आदेश के आलोक में पुनर्विचार हेतु यह वाद प्रारम्भ किया गया।

आवेदक उपस्थित। आवेदक द्वारा बताया गया कि बी0एस0एन0एल0 में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। आवेदक द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त पत्रांक–68 / गो0, दिनांक–13.01.2008 का अवलोकन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **''आवेदक के दिये हुए पते पर थानाध्यक्ष, कोतवाली द्वारा जाँच किया गया तो पाया कि आवेदक उक्त पते पर नहीं रहते है।''** बिना जाँच के आवेदक का अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र वापस किया गया है। थानाध्यक्ष, कोतवाली के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के दिये हुए पते पर जाँचोपरान्त पाया गया कि आवेदक उक्त पते पर नहीं रहते है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 की कंडिका–II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :–

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका–II की उप कंडिका–b तथा e निम्नवत है :–

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय / आशंका नहीं है तथा

उन्हें एक डी0बी0बी0एल0 गन हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश एवं आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों– के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक **श्री श्यामल कुमार**, पिता–स्व0 राम सेवक सिंह, सा0–जी–4 लाईन, मेन क्वार्टर, हार्डिंग रोड, पो0–जी0पी0ओ0, थाना–कोतवाली, जिला–पटना के आवेदित एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

शस्त्र अपील वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।